(144)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

R-1409-I/12

1. परसोतन सिंह पिता मोहर सिंह गोंड़, पेशा– खेती,
2. सिरसोतन सिंह पिता मोहर सिंह गोंड़, पेशा– खेती,
3. त्रिलोक सिंह पिता मोहर सिंह गोंड़, पेशा– खेती,
4. रामचरण सिंह पिता जाहर सिंह गोंड़, पेशा– खेती,
5. जाहर सिंह पिता सुखलाल सिंह गोंड़, पेशा– खेती,
6. नन्दलाल साकेत पिता श्री छोटू साकेत पेशा– खेती,
7. जगदेव सिंह पिता शोभाशाह सिंह गोंड़ पेशा– खेती,

सभी निवासी ग्राम– सहरत ताल / डोंगरी, थाना– सरई, तहसील– सिंगरौली, जिला– सिंगरौली (म.प्र.) ————— निगरानीकर्तागण

बनाम

1. उन्नुर प्रसाद सोनी पिता रामकेश्वर सोनी पेशा– खेती एवं व्यापार, निवासी ग्राम– झलरी / डोंगरी, थाना– सरई, तहसील– सिंगरौली, जिला– सिंगरौली (म.प्र.)
2. मध्यप्रदेश शासन ————— अनावेदकगण

अधिवक्ता श्री अनिल सिंह गहरवार द्वारा प्रस्तुत रीवा दिनांक 20/4/2012

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक–150 / अ–74 / 2010–2011 आदेश दिनांक– 11.04.2011

निगरानी अन्तर्गत धारा– 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

प्रकरण के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार हैः–

1. यह कि नायब तहसीलदार महोदय प्रभारी माड़ा द्वारा ग्राम पंचायत डोंगरी स्थित ग्राम– सहरत ताल की आराजी पुराना खसरा क्रमांक– 204 रकवा 1.361 है0, 205 रकवा 0.247 है0 नवीन बन्दोबस्ती सर्वे नंबर– 853 रकवा 1.24 है0, 854 रकवा 0.37 है0 का व्यवस्थापन पट्टा प्रकरण क्रमांक– 37 / अ–19(4) / 1982–83

(1411)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R. 1469-II/12 जिला– सिंगरौली

परसोतम सिंह गौर विरूद्ध अनूपप्रताप सोनी

(1)	(2)	(3)
18.12.18	1. आवेदक की ओर से श्री अनिल सिंह गहरवार अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ ~~अपर कलेक्टर~~, जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 150/अ-74/10-11 में पारित आदेश दिनांक 11-4-11 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 21-1-19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	